छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर, 2011
(भाद्रपद-18, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 एवं 04 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2010-2011 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1086/एल8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 23 जुलाई, 2011,

(3) वर्ष 2010-2011 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों का निष्पादन (परफार्मेंस) बजट, पटल पर रखे।

4. पृच्छा

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित किया कि सत्रावसान् के पूर्व सदन में शासन की ओर से किये जा रहे राहत कार्यों पर वक्तव्य आये।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल कर आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की।

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रविन्द्र चौबे (अनुपस्थित), लखमा कवासी, सदस्य ने सुकमा थानांतर्गत आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य ने जिला राजनांदगांव के उत्तर वन परिक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भरत साय, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ.शक्राजीत नायक (अनुपस्थित) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में कीटनाशक दवाईयों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(4) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य ने जल संसाधन विभाग में व्याप्त अनियमितता की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री दूजराम बौद्ध
(2) श्री भोला राम साहू
(3) श्री महंत रामसुंदर दास
(4) श्री सौरभ सिंह
(5) श्री शिवराज सिंह उसारे
(6) श्री परेश बागबाहरा
(7) श्री मोहम्मद अकबर
(8) श्री संतोष बाफना
(9) श्री अजीत जोगी
(10) डॉ.हरिदास भारद्वाज

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सप्तम,

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति ने याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय, तथा

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने लोक लेखा समिति का इक्यासीवां, बयासींवा, तिरासींवा, चौरासींवा, पचासींवा, छियासींवा एवं सतासीवां, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री ह्दय राम राठिया

(2) श्री बोधराम कंवर

(3) श्री महंत रामसुंदर दास

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15, सन् 2011)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री भोलाराम साहू, फूलचंद सिंह, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सर्वश्री नंदकुमार साहू, मोहम्मद अकबर।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 23 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 15, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 के अंतर्गत उल्लेखित 6 (1), (2), (3) का क्रम संशोधित करते हुए क्रमांक 6 (3) को 6 (2) एवं 6 (2) को 6 (3) किया जाकर पहले छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को विचार के लिए लिया।

(2) छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19, सन् 2011)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, महंत रामसुन्दर दास, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री जगेश्वर राम भगत,

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 62 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 19, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (क्रमांक 20, सन् 2011)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (क्रमांक 20, सन् 2011) विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, देवजी पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री परेश बागबाहरा,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री दीपक कुमार पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री दूजराम बौद्ध, डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री लखमा कवासी, फूलचंद सिंह।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011 (क्रमांक 20, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12. वक्तव्य

प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य दिया।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

13. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(2) श्री नंदकुमार साहू सदस्य, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये, एवं

(3) श्री नारायण चंदेल, सभापति सदन की जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि - रोगदा जलाश्य को हस्तांतरित करने और इससे सम्बद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

14. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का रकबा निरंतर कम होने से उत्पन्न स्थिति

श्री अजीत जोगी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य (अनुपस्थित)

15. अशासकीय संकल्प

सदन का यह मत है कि "प्रदेश की राजधानी रायपुर के नई राजधानी क्षेत्र में निर्मित मंत्रालय भवन का नाम माता कौशल्या भवन रखा जाय।"

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

16. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की तृतीय विधान सभा के सप्तम सत्र का आज अंतिम दिवस है । यह पावस सत्र दिनांक 29 अगस्त, 2011 से 09 सितम्बर, 2011 तक आहूत था, किंतु सदन के प्रस्ताव से दिनांक 05 सितम्बर की पूर्व निर्धारित बैठक को निरस्त कर दिनांक 10 सितम्बर की बैठक निर्धारित की गई । यह सत्र अपने नाम के अनुरूप मानसून सत्र रहा क्योंकि पूरी सत्रावधि में प्रदेश में निरंतर वर्षा की स्थिति बनी रही ओर अंतिम तीन दिवसों में तो प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो गई । फलस्वरूप सभा के सदस्यों ने अतिवृष्टि की स्थिति पर शासन के वक्तव्य के पश्चात् अतिवृष्टि से उनके क्षेत्र में निर्मित स्थिति की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया । अतिवृष्टि की गंभीरता को देखते हुए शासन की ओर से भी दिनांक 08 सितम्बर को एवं पुनः 09 सितम्बर को सभा में वक्तव्य दिया गया और इस सदन को यह आश्वस्त किया कि अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने के लिये शासन पूर्ण रूप से गंभीर है और प्रत्येक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि स्थिति का सामना किया जा सके ।

आज मुख्यमंत्री जी ने सदन को यह भी अवगत कराया कि वे स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके आये हैं और उनके द्वारा व्यक्त बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर अनुरोध को स्वीकार कर सभा ने आज ही सत्र समापन का निर्णय लिया ताकि जनप्रतिनिधि उनके अपने क्षेत्र में जाकर अतिवृष्टि से निर्मित स्थिति से निपटने में सहयोग कर सकें । मैं समस्त सदस्यों की चिंता में स्वयं को सम्मिलित करते हुए यह उल्लेख करना चाहता हूं कि समस्त सदस्यगण क्षेत्र में जाएं और शासन को इस स्थिति से निपटने में सहयोग करें ।

इस सत्र में हमारे किसान भाइयों से जुडे अनेक ज्वलंत विषय चर्चा के विभिन्न माध्यमों से सदन में आए और आप सभी ने पूरी गंभीरता से इस पर चर्चा भी की । मैंने एकाधिक अवसरों पर इस तथ्य को आपके सामने रखा है कि संसदीय सदन की सर्वोच्चता के पीछे जनहित और जनभावना का सम्मान है । आप माननीय सदस्य प्रदेश की 02 करोड़ 10 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं । आपका यह दायित्व बनता है कि जनभावना को संसदीय परिपाटी के अनुरूप सदन में प्रस्तुत करें । इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायी निकायों के अपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन का उद्देश्य यह होता है कि वह किसी भी माध्यम में जनभावना को सदन में रखने का अवसर दें । सदन में चर्चा किस माध्यम से हुई यह जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सदन में हुई चर्चा का स्तर क्या है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि 29 अगस्त, 2011 को माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने खाद की अनुपलब्धता विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी, किंतु मैंने नियम 139 के तहत् चर्चा की अनुमति दी । मेरा आप माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने में समाहित सकारात्मक ऊर्जा को संसदीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहयोग दें और यह प्रयास करें कि जनभावना सदन में सदैव सम्मानित होती रहे ।

मुझे इस बात को अभिव्यक्त करते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह सदन देश के विधायी निकायों के लिए एक मिसाल है । यह सदन न केवल श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं के परिपालन में अग्रिणी है अपितु यह सदन प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आप जैसे संसदीय व्यवस्था के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माननीय सदस्यों के मध्य आसंदी का संचालन करते हुए निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। सदन की कार्यवाही के सुव्यवस्थित संचालन में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य जिस सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है वह इस सदन में विद्यमान है। आप सदन के सदस्यों के मध्य श्रेष्ठ समन्वय और सद्भाव का भाव ही मुझे सदन के इस सुव्यवस्थित संचालन में मार्गदर्शन देता है। आपके इस सहयोग के लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं।

वर्तमान सत्र में एक अवसर ऐसा भी आया जब समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर किये गये उल्लेख से सभा में कुछ देर के लिये व्यवधान की स्थिति निर्मित हुई। मैंने तत्समय भी इस संबंध में उल्लेख किया था और पुनः दोहराना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से सूचनायें देते हैं, प्रस्ताव करते हैं और ऐसी सूचना और प्रस्ताव वे उन्हें प्राप्त जानकारी के आधार पर ही प्रस्तुत करते हैं किन्तु जब नियम एवं प्रक्रिया के अलावा यदि माननीय सदस्य किसी बात का उल्लेख सदन में करना चाहते हैं, तब यह आवश्यक होता है कि उन तथ्यों की वे पहले पुष्टि कर लें जिनका उल्लेख वे सदन में करना चाहते हैं क्योंकि नियम और प्रक्रियाओं से हटकर यकायक माननीय सदस्यों द्वारा अनेक अवसरों पर अपुष्ट तथ्यों का सदन में उल्लेख करते हैं, जिसका आशय हाल ही में किसी घटना अथवा समाचार की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। लेकिन यदि यह तथ्य पुष्ट नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण है तो सदन में एक सनसनी का वातावरण बनता है, सभा में अप्रिय स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में मेरा सदस्यों से आग्रह है कि कृपया तथ्यों की पुष्टि करने के पश्चात ही यकायक मामलों का उल्लेख सभा में करें।

इस सत्र में महत्वपूर्ण विधिक कार्य संपादित हुआ और तीन मूल विधेयक भी प्रस्तुत किये गये और सभा में विस्तार से चर्चा के बाद उन्हें पारित किये :-

1. छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक
2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक
3. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक

ये तीनों ही विधेयक मुझे विश्वास है कि राज्य की विधि की सूची में न केवल एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे अपितु जनकल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इस सत्र में प्रथम अनुपूरक अनुमान भी पारित हुआ। प्रथम अनुपूरक अनुमान पर छत्तीसगढ़ विधान सभा के गठन के पश्चात् सबसे लंबी चर्चा हुई जो 5 घण्टे 23 मिनट रही।

उपरोक्त आंकड़े यह प्रतिपादित करते हैं कि विधिक एवं वित्तीय कार्य में इस सभा के सदस्यों की गहरी रूचि है।

इस सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस राज्य के विकास से संबद्ध समग्र विषयों पर सार्थक परिणाममूलक चर्चा हुई। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आप माननीय सदस्यों ने राज्य के समस्त विषय चाहे वह कृषकों की समस्या हो या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन अथवा संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय हो राज्य की शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सिंचाई सहित अन्य महत्वपूर्ण सभी विषयों से जुड़े ज्वलंत लोक कल्याणकारी विषयों पर इस सदन में चर्चा का होना आप माननीय सदस्यों के जनसेवक होने का जीवंत प्रमाण है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अपने हृदय में जनसेवा के इस भाव को सदैव शास्वत एवं जागृत बनाये रखें क्योंकि यही भाव ही लोकतंत्र की आत्मा है।

सत्र समापन अवसर पर यह परंपरा रही है कि इस अवसर पर संपादित कार्यों का सार संक्षेप और सांख्यिकी आंकड़े सदन में रखा जाता है तद्नुसार इस पावस सत्र में कुल 6 बैठकें संपादित हुईं जिसमें लगभग 32 घंटे 41 मिनट की चर्चा हुई।

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 523 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया तथा 3467 लोगों ने विधान सभा की वेबसाईट का अवलोकन किया। आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्राएं एवं आम नागरिक राज्य की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सकें।

इस सत्र के कुल 6 कार्य दिवसों में कुल 32 घंटे 41 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में कुल 914 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 351 रहे जिनमें से 43 प्रश्नों पर चर्चा हुई। इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 7 प्रश्न प्रति दिन का रहा, अर्थात प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने अधिकाधिक लाभ उठाया। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई।

इस सत्र में 7 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से एक अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखा गया जो अस्वीकृत हुआ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तौला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया। आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन-भावना, जन-कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। इस सत्र में कुल 171 स्थगन के प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से 70 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सदन में चर्चा हुई । अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 96 रही । इस सत्र में शून्यकाल की 91 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 57 सूचनाएं ग्राह्य व 34 सूचनाएं अग्राह्य रही ।

तृतीय विधान सभा के इस सप्तम सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 368 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 78 सूचनाएं ग्राह्य व 244 सूचनाएं अग्राह्य रही । इस सत्र में कुल 7 विधेयक लाए गए और सभी विधेयक पारित हुए । इस सत्र में कुल 6 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 64 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गईं । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों को पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ । उपरोक्त आंकड़ों से इस सत्र के सम्पादित कार्यों की पुष्टि होती है और इन सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर इस सत्र को एक सफल सत्र कहा जा सकता है ।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से आप आपनी सार्थकता को सिद्ध किया है । इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सदन की कार्यवाही को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद् देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित आवश्यक स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा ।

सत्र की प्रति दिन की बैठक के प्रश्नकाल को रिकार्ड कर प्रतिदिन सायंकाल दूरदर्शन से प्रसारित किया जाता है । इस सत्र में सदन की प्रश्नकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण जी.एन.एन. चैनल के द्वारा किया गया जिससे प्रदेश की अधिकांश जनता ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया ।

इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद् देता हूं ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र सम्पन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका । परम्परा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है । तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसम्बर के द्वितीय/तृतीय सप्ताह के मध्य आहुत होने की संभावना है ।

इस अवसर पर मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आइए । छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें ।

धन्यवाद !

जय – हिन्द ! जय – भारत ! जय – छत्तीसगढ़ !

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किये।

17. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

रात्रि 8.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा